**भारत सरकार**
**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय**
**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग**

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या: 3519**
**21 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर**

**आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम)**

**3519. श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़ः**

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वित्तीय वर्ष 2024-25 में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) के अंतर्गत स्वास्थ्य पहचान पत्र, स्वास्थ्य पेशेवर रजिस्ट्री (एचपीआर) और स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री (एचएफआर) के संदर्भ में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) वित्तीय वर्ष 2024-25 में देश भर में एबीडीएम के अंतर्गत पंजीकृत स्वास्थ्य सुविधाओं और पेशेवरों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या कितनी है;

(ग) अस्पतालों और क्लीनिकों को डिजिटल स्वास्थ्य समाधान अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना (डीएचआईएस) के अंतर्गत कुल कितने वित्तीय प्रोत्साहन दिए गए हैं;

(घ) यू-विन पोर्टल के आरंभ होने से लेकर अब तक इस पर पंजीकृत लाभार्थियों और टीकों की खुराक की संख्या कितनी है; और

(ङ) भारत के डिजिटल स्वास्थ्य सेवा पारिस्थितिकी तंत्र में अंतर-प्रचालनीयता, डेटा सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

**उत्तर**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री प्रतापराव जाधव)**

(क) से (ङ): दिनांक 17.03.2025 की स्थिति के अनुसार, कुल 17,30,67,913 एबीएचए जिन्हें पहले स्वास्थ्य आईडी के रूप में जाना जाता था, बनाए गए हैं, 2,73,055 स्वास्थ्य परिचर्या पेशेवरों को स्वास्थ्य पेशेवर रजिस्ट्री (एचपीआर) पर पंजीकृत किया गया और वित्त वर्ष 2024-25 में 1,49,257 स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाकेंद्रों को स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री पर पंजीकृत किया गया।

वित्त वर्ष 2024-25 (1 अप्रैल 2024 से 17 मार्च 2025 तक) में क्रमशः एचएफआर और एचपीआर में स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाकेंद्रों और पेशेवरों के सत्यापित पंजीकरण की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या अनुलग्नक-क में है।

स्वास्थ्य सेवा के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने और एबीडीएम को अपनाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए 1 जनवरी, 2023 से डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना (डीएचआईएस) शुरू की गई थी। डीएचआईएस के तहत, स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाकेंद्रों और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही हैं। 17 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार डीएचआईएस के तहत वित्तीय सहायता के रूप में कुल 73,28,18,430 रुपये वितरित किए गए हैं।

दिनांक 17 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार, यू-विन के आरंभ के बाद 1.84 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को पंजीकृत किया गया है और 9.47 करोड़ वैक्सीन खुराक दर्ज की गई हैं।

स्वास्थ्य सेवा के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने और देश के लिए एक खुला अंतर-संचालन योग्य डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य सामान्य स्वास्थ्य डेटा मानकों को निर्धारित करके और अंतर -संचालन के लिए आवश्यक नागरिकों, स्वास्थ्य सुविधाकेंद्रों, स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों आदि की रजिस्ट्री जैसे मुख्य मॉड्यूल विकसित करके ऐसा करना है, ताकि विभिन्न डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालियाँ का उपयोग कर रहे स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के बीच डेटा के निर्बाध साझाकरण को सक्षम करके एक-दूसरे के साथ पारस्परिक संवाद कर सकें।

'डिजाइन द्वारा गोपनीयता' एबीडीएम के प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है और इसे संघीय डिजिटल आर्किटेक्चर के सिद्धांतों का पालन करते हुए कार्यान्वित किया गया है। इसलिए, स्वास्थ्य रिकॉर्ड का कोई केंद्रीकृत संग्रह नहीं है। एबीडीएम रोगी की सहमति के बाद एबीडीएम नेटवर्क पर इच्छित हितधारकों के मध्य सुरक्षित डेटा एक्सचेंज की सुविधा प्रदान करता है। एबीडीएम सक्षम अनुप्रयोगों के माध्यम से रोगी अपने डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड को अपने डिवाइस पर सुरक्षित रूप से संग्रहीत करने, अपने रिकॉर्ड को ऑनलाइन सुरक्षित रूप से एक्सेस करने और अपनी सहमति के बाद अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड को स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के साथ सुरक्षित रूप से साझा करने में भी सक्षम होंगे। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के साथ-साथ एबीडीएम द्वारा समय-समय पर प्रकाशित नीतियों और दिशा-निर्देशों जिनमें स्वास्थ्य डेटा प्रबंधन नीति, सैंडबॉक्स दिशा-निर्देश आदि शामिल हैं, परंतु जो यहीं तक सीमित नहीं हैं, में एबीडीएम के विनियमन के लिए विनियामक और नीतिगत ढाँचा निर्धारित किए जाते हैं।

अनुलग्नक-क

| **क्र.सं.** | **राज्य/संघ राज्य क्षेत्र** | **स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री (एचएफआर) में पंजीकृत स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाकेंद्र** | स्वास्थ्य पेशेवर रजिस्ट्री (एचपीआर) में पंजीकृत स्वास्थ्य परिचर्या पेशेवर |
|---|---|---|---|
| 1 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 3 | 338 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 9,168 | 17,991 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 298 | 1,086 |
| 4 | असम | 5,220 | 8,592 |
| 5 | बिहार | 2,174 | 9,895 |
| 6 | चंडीगढ़ | 208 | 2,199 |
| 7 | छत्तीसगढ़ | 1,869 | 10,114 |
| 8 | दिल्ली | 311 | 3,017 |
| 9 | गोवा | 494 | 1,606 |
| 10 | गुजरात | 3,856 | 8,022 |
| 11 | हरियाणा | 1,866 | 10,441 |
| 12 | हिमाचल प्रदेश | 286 | 1,678 |
| 13 | जम्मू और कश्मीर | 1,860 | 3,540 |
| 14 | झारखंड | 2,942 | 7,882 |
| 15 | कर्नाटक | 13,313 | 18,964 |
| 16 | केरल | 855 | 19,308 |
| 17 | लद्दाख | 10 | 397 |
| 18 | लक्षद्वीप | 24 | 84 |
| 19 | मध्य प्रदेश | 3,266 | 8,555 |
| 20 | महाराष्ट्र | 11,757 | 31,026 |
| 21 | मणिपुर | 203 | 1,381 |
| 22 | मेघालय | 38 | 655 |
| 23 | मिजोरम | 188 | 836 |
| 24 | नागालैंड | 1,175 | 1,116 |
| 25 | ओडिशा | 8,368 | 578 |
| 26 | पुदुचेरी | 16 | 1,021 |
| 27 | पंजाब | 3,403 | 4,190 |
| 28 | राजस्थान | 36,507 | 35,689 |
| 29 | सिक्किम | 161 | 642 |
| 30 | तमिलनाडु | 5,611 | 6,745 |
| 31 | तेलंगाना | 3,813 | 10,814 |
| 32 | दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव | 126 | 432 |
| 33 | त्रिपुरा | 2,188 | 4,316 |
| 34 | उत्तराखंड | 5,257 | 4,970 |
| 35 | उत्तर प्रदेश | 22,158 | 34,374 |
| 36 | पश्चिम बंगाल | 265 | 561 |
| | **कुल** | **1,49,257** | **2,73,055** |

******